संख्या-2/2016/64/94-स्टा0नि0-2-2016-700(223)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
निबन्धन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2016

विषय:- निबंधन के पूर्व ई-स्टाम्प पत्र में आंशिक स्टाम्प की धनराशि को वापस किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश - 09/संख्या-384/सं0वि0क0नि0अनु-7-2015/700 (223)/2013 दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा किसी व्यक्ति को ई-स्टाम्प पत्र क्रय किये जाने के उपरान्त कम धनराशि के ई-स्टाम्प की आवश्यकता होने पर संबंधित क्रेता द्वारा आवेदन किये जाने पर स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के संग्रह केन्द्र द्वारा उसे पूर्व में निर्गत ई-स्टाम्प पत्र को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर एक वांछित कम धनराशि का ई-स्टाम्प एवं अन्तर की धनराशि का अन्य ई-स्टाम्प पत्र क्रेता को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं।

2. उपरोक्त के क्रम में स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि इस प्रकार के ई-स्टाम्प पत्रों में मूल ई-स्टाम्प पत्र के समान ही दोनों स्टाम्प पत्रों में प्रतिफल की धनराशि की प्रविष्टि की जाती है, जिससे स्टाम्प पत्र क्रेता एवं संबंधित कार्यालय में प्रयुक्त किये जाने पर स्टाम्प पत्रों पर भ्रम की स्थिति रहती है। साथ ही यह तथ्यात्मक रूप से भी त्रुटिपूर्ण हो जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. इस स्थिति के समाधान के लिए स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के पत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि यदि ई-स्टाम्प पत्र में प्रतिफल की धनराशि के कॉलम को अनिवार्य के स्थान पर वैकल्पिक कर दिया जाये तो निर्गत ई-स्टाम्प के सापेक्ष प्रतिफल की धनराशि न भरने पर भी त्रुटिपूर्ण नहीं होगा। साथ ही इस फील्ड को न भरे जाने पर विभाग को अथवा स्टाम्प पत्र क्रेता को कोई हानि नहीं है।

4. उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ई-स्टाम्प पत्र के आवेदन में प्रतिफल की धनराशि के फील्ड को अनिवार्य के स्थान पर वैकल्पिक कर दिया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त की प्रतिलिपि स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।